

आई आदेश संख्या 3/79

समस्त पुलिस अधीक्षकगण,
राजस्थान ।

विषय : - रिक्तस की प्रेक्टिकल ट्रेनिंग ।

महोदय,

सी०पी० रिक्तस की प्रेक्टिकल ट्रेनिंग (व्यवहारिक प्रशिक्षण) ट्रेनिंग आर्डर नं० 12/76 व 13/76 के अन्तर्गत दी जाती थी जो मुख्यालय के ट्रेनिंग आदेश संख्या 1/79 दिनांक 30.3.79 के द्वारा कुछ समय के लिए रोक दी गई इसके अन्तर्गत यह सुझाया गया था कि सी० पी० रिक्तस को जहाँ पर स्थान रिक्त हो वहीं पर पोस्टिंग कर 'आन दी जॉब' ट्रेनिंग दी जावेगी जिससे रिक्त स्थानों की पूर्ति भी हो जायेगी व व्यवहारिक ज्ञान और कार्य करने के ज्ञान में भी वृद्धि होगी । ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक हो गया था क्योंकि विभाग में बहुत से स्थान रिक्त चले आ रहे थे और एक साथ बहुतसे लोगों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना मुमकिन नहीं था और ऐसा करने से व्यवहारिक कौशलनाइयाँ ज्यादा बढ़ती थी ।

ट्रेनिंग आर्डर नं० 12/76 व 13/76 के अन्तर्गत स्थाईकरण की प्रक्रिया के लिए मूल्यांकन बोर्ड का प्रावधान किया गया था । इस विषय पर यह सटीक रूप किया जाता है कि स्थाईकरण तो मूल्यांकन बोर्ड द्वारा ही किया जावेगा परन्तु बोर्ड केवल साक्षात्कार (इन्टरव्यू) ही करेगा व इस निष्कर्ष पर पहुँचगा कि रिक्त ने अपने प्रशिक्षण के समय में इयूटी पर का सीखने में ठीक तरह से दिक्षवसी ती है और अनुभव, ज्ञान व व्यवहारिक प्रशिक्षण, आन दी जॉब ट्रेनिंग के दोहरान ठीक तरह अधिस्त किया है ।

कृपया उपरोक्त आदेशानुसार रिक्तस की प्रेक्टिकल ट्रेनिंग, आन दी जॉब ट्रेनिंग, व स्थाईकरण के बारे में कार्यवाही करें ।

महोदय,

37/11/79

पुलिस महानिरीक्षक,
राजस्थान, जयपुर दिनांक 24/8/79

क्रमांक प. 11 (1) अपुमानि/प्रशि/जन/79/ 6139-88

प्रतिनिधि :

- 1- समस्त अपर पुलिस महानिरीक्षक राजस्थान, जयपुर ।
- 2- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक राजस्थान ।
- 3- सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (प्रथम)/सीआरडी(सीबी)/टाइफ ।
- 4- प्रभुनाचर्य, आर.पी.ए. जयपुर /सी.पी.ए.पी व आर.ए.सी. ट्रेनिंग सेन्टर जयपुर ।
- 5- कमाण्डेंट्स, पी० टी० एस०, किशनगढ़/उदयपुर/जोधपुर ।

अपर पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)
राजस्थान, जयपुर